न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :–198/2021

1. प्रवीनकुमार पुत्र जोगिन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी सुगनाडा तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा हिमाचलप्रदेश

.....वादी

बनाम

1. अंजुकुमारी पुत्र रेशमादेवी जाति राजपूत निवासी धरनजरोटा तहः देहरा जिः कांगडा
2. अनीतादेवी पत्नी भूपसिंह राजपूत निवासी धरनजरोटा तहः देहरा जिः कांगडा
3. कुलभूषणसिंह पुत्र रेशमादेवी राजपूत निवासी धरनजरोटा तहः देहरा जिः कांगडा
4. गुरध्यानसिंह पुत्र लालसिंह राजपूत निवासी धरनजरोटा तहः देहरा जिः कांगडा
5. मृदुकुमारी पुत्री रेशमादेवी राजपूत निवासी धरनजरोटा तहः देहरा जिः कांगडा
6. मोहितसिंह पुत्र भूपसिंह राजपूत निवासी धरनजरोटा तहः देहरा जिः कांगडा
7. राजनसिंह पुत्र भूपसिंह राजपूत निवासी धरनजरोटा तहः देहरा जिः कांगडा
8. विष्णुबन्धुसिंह पुत्र भूपसिंह राजपूत निवासी धरनजरोटा तहः देहरा जिः कांगडा
9. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री विजयकुमार अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश **दिनांक :–10.01.2023**

यह वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि वादी की भुआ के नाम से चक 1 केवाईएम ए का मु0नं0 237/40 का किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.1960 है0 कमाण्ड भूमि का 6/25 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबा वादी की भूआ सुरक्षादेवी को जरिये विरासतन प्राप्त हुआ है तथा मुत्युप्रमाणपत्र व जायज वारिस प्रमाणपत्र के आधार पर उक्त रकबा का विरासतन नामान्तरण वादी की भूआ के नाम से दर्ज हो गया जो कि राजस्व रिकॉर्ड में वादी की भुआ का नाम सुरक्षादेवी की बजाय रक्षादेवी दर्ज है। वादी की भुआ का देहान्त दिनांक 09.08.2021 को हो गया है तथा वादी की भुआ साक्षर थी इसलिए वह कुछ ज्यादा पढ़लिख नहीं सकती थी। जब वारिस प्रमाणपत्र जारी करवाया गया तब वारिस प्रमाणपत्र में वादी की भुआ का नाम सुरक्षादेवी की जगह रक्षादेवी लिखा गया तथा उक्त वारिस प्रमाणपत्र के आधार पर ही राजस्व रिकॉर्ड में वादी की भुआ का नाम रक्षादेवी दर्ज हो गया। वादी की भुआ सुरक्षादेवी ने अपने हिस्से आई भूमि की वसीयत वादी के नाम से निष्पादित की थी। वादी अपनी भुआ के द्वारा निष्पादित करवाई गई वसीयत का नामान्तरण वसीयत

अनुसार अपने नाम दर्ज करवाने के लिए पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में आपकी भुआ का नाम रक्षादेवी है व फोटो पहचान दस्तावेज में आपकी भुआ का नाम सुरक्षादेवी दर्ज है। आप अपनी भुआ का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि करवा लें। तब वादी को राजस्व रिकॉर्ड में अपनी भुआ का नाम रक्षादेवी होने की जानकारी मिली जबकि वादी की भुआ के समस्त दस्तावेज जैसे मूलनिवास, आधारकार्ड, पहचानपत्र आदि सुरक्षादेवी के नाम से बने हुए है। वादी की भुआ रक्षादेवी व सुरक्षादेवी दोनों की नामों से जाना व पहचाना जाता है तथा वादी की भुआ की रक्षादेवी व सुरक्षादेवी है, ये दोनों नाम वादी की भुआ के ही है तथा वादी की भुआ को इन दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता था। वादी अपने भुआ के नाम के उपरोक्त रकबा के रास्जव रिकॉर्ड में अपनी भुआ का नाम प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर रक्षादेवी की घोषणा व दुरस्त करवारकर सुरक्षादेवी करवाना चाहता है। अतः वादी की भुआ के नाम का रकबा चक 1 केवाईएम ए का मु0नं0 237/40 का किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.1960 है0 कमाण्ड का 6/25 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में रक्षादेवी के बजाय सुरक्षादेवी की घोषण कर दुरस्त कर अंकन करने के आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को रजि0 ए0डी0 नोटिस डाकविभाग से भिजवाने पर उचित रूप से तामिल नहीं होने पर आमसूचना अखबार दिव्य हिमाचल दिनांक 17.11.2022 के पृष्ठ सं0 7 में प्रकाशन व अखबार अमर उजाला दिनांक 17.11.2022 के पृष्ठ सं0 5 पर करवाई गई। जिसपर पत्रावली पर कोई आपत्ति उज्र एतराज नहीं आया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के पक्ष में दस्तावेज रक्षादेवी/सुरक्षादेवी आधारकार्ड, मृत्युप्रमाणपत्र, परिचय पत्र, राशनकार्ड, वसीयत छायाप्रति, ग्रामपंचायत तस्दीक, वादी का स्वंय का शपथपत्र इत्यादि दस्तावेज पेश किये । उक्त दस्तावेजों में वादी का भुआ का नाम सुरक्षादेवी अंकित है । ग्राम पंचायत तस्दीक में भी लिखा है रक्षादेवी व सुरक्षादेवी दोनों एक ही औरत के नाम है। सुरक्षादेवी की मुत्यु दिनांक 09.08.21 को हो चुकी है। वादी ने शपथपत्र पेशकर भी लिखा है कि रक्षादेवी व सुरक्षादेवी दोनों ही नाम मुझ मिकर के भुआ के है। बहस सुनी गई।

वादी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र व प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निष्कर्ष है कि चक 1 केवाईएम ए का मु0नं0 237/40 का किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.1960 है0 कमाण्ड भूमि के सुरक्षादेवी (रक्षादेवी) के हिस्से की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रक्षादेवी की जगह सुरक्षादेवी उर्फ रक्षादेवी किया जाना न्यायसंगत है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायहित धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 1 केवाईएम ए का मु0नं0 237/40 का किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.1960 है0 कमाण्ड भूमि के सुरक्षादेवी (रक्षादेवी) के हिस्से की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रक्षादेवी की जगह सुरक्षादेवी उर्फ रक्षादेवी नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)